सं0 सं0– टी–2/नामां0–(पोशाक)–11/2018 –................../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार,पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक–........................../2018

विषयः– बिहार राज्य में संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित) के प्रशिक्षणार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) को पोशाक (ड्रेस) एवं जूता हेतु प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारम्भ में एक मुश्त प्रशिक्षणार्थियों के खाते में रू0 3000/–(रू0 तीन हजार) प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रत्येक वर्ष कुल रु0 13,02,24,000/– (रू0 तेरह करोड़ दो लाख चौबीस हजार) मात्र राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार राज्य में संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित) के प्रशिक्षणार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) को पोशाक (ड्रेस) एवं जूता हेतु प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारम्भ में एक मुश्त प्रशिक्षणार्थियों के खाते में रू0 3000/–(रू0 तीन हजार) मात्र आर0 टी0 जी0 एस0 के माध्यम से राशि क्रय का अभिश्रव जमा कराने के उपरान्त उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस हेतु रु0 13,02,24,000/– (रू0 तेरह करोड़ दो लाख चौबीस हजार) मात्र राशि व्यय किया जाएगा।

2– इस स्कीम पर व्यय मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 003– शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या 26, 0118–नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड 26–2230030030118 ,मुख्य शीर्ष 2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांग संख्या 26, 0101–नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड 26–2230031010101, मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 003–शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या 26, 0333–कौशल विकास मिशन विपत्र कोड–26–2230030030333, एवं मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 101 औ0 प्र0 संस्थान, मांग संख्या 26, 0001–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद विपत्र कोड 26–2230031010001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। इस हेतु कुल 43408 प्रशिक्षणार्थी के लिए रु0 3000/–(रू0 तीन हजार) प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रत्येक वर्ष कुल रु0 13,02,24,000/– (रू0 तेरह करोड़ दो लाख चौबीस हजार) मात्र का व्यय, विषय शीर्ष 34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा, से वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार राशि पुर्नविनियोग, अनुपूरक, आकस्मिकता निधि से राशि उपबंधित करायी जायेगी।

3– इस राशि की निकासी संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी संबधित जिला कोषागार, बिहार से की जायेगी।

5– प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7– संचिका संख्या–टी–2 नामां0–(पोशाक)–11/2018 के पृष्ठ–36/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–2/नामां0–(पोशाक)–11/2018 –................../ प ट ना, दिनांक–........ ..../2018

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

E-Mail ज्ञापांक– टी–2/नामां0–(पोशाक)–11/2018 –2796/ प ट ना, दिनांक–18-12-/2018

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/ मुख्यालय के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय/सभी संबधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
18/12/18

C-2/17 POSHAK
18/12/18/P-1